राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2011 जयपुर, दिनांक 30 NOV 2011

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के नियोजन के संबन्ध में।
संदर्भ :– विभागीय पत्रांक एफ4(16)ग्रावि/ग्रारो/नरेगा/06 दिनांक 15.06.2009 तथा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 का बिन्दु संख्या 16.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत मेट के नियोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में भी मेट के नियोजन, उन पर नियन्त्रण तथा नियमानुसार कार्यवाही न करने पर कार्यवाही नही किये जाने के संबन्ध में विस्तृत विवरण दिया गया है। जारी आदेश दिनांक 15.06.2009 के बिन्दु संख्या 6.2 में वर्णित है कि "मेट द्वारा निर्धारित कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां निर्वहन नहीं करने की स्थिति में मेट को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस दिए हटाया जा सकेगा व इस स्थिति में उसका नाम पैनल से स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।"

विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व माना है। अतः इस संबन्ध में यह निर्देश जारी किये जाते है कि मेट को कार्यस्थल से हटाये जाने अथवा ब्लैक लिस्ट किये जाने से पूर्व दो निष्पक्ष व्यक्तियों की उपस्थिति में मेट का पक्ष सुनने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर ही उसे ब्लैक लिस्ट किये जाने/मेट के रूप में नियोजित नही किये जाने का निर्णय किया जावे, साथ ही तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 16.14.3 की पालना भी की जावे जिसमें वर्णित है कि मेट के पैनल में शामिल व्यक्ति अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार की मांग कर कार्य कर सकता है एवं श्रमिक का परिवार 100 दिवस का रोजगार पाने का अधिकारी है। कार्य से हटाये गये/ब्लैक लिस्टेड मेट भी योजनान्तर्गत रोजगार की मांग कर सकता है एवं उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने का श्रम करें।

भवदीय
29/11/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
3. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. सरपंच ग्राम पंचायत समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस